



F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. 1291 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1291**

**विषय/Sub: निकल आयरन बेस हीट रेसिस्टेंट सूपर अलाय: सुपर्नी - 718ए**

**(कोल्ड रोल्ड शीट्स - नॉन वेल्डेबल)**

**Nickel Iron Base Heat Resistant Super Alloy: SUPERNI - 718A**  
**(Cold Rolled Sheets - Non-Weldable)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, कंचनबाग पी.ओ, हैदराबाद - 500 058 द्वारा विकसित और उत्पादित, निकल आयरन बेस हीट रेसिस्टेंट सूपर अलाय: सुपर्नी - 718ए" (कोल्ड रोल्ड शीट्स - नॉन वेल्डेबल) को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1291, दिनांक 14 नवंबर 2007, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1291 जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2012 तक वैध था।

*This is to state that the "Nickel Iron Base Heat Resistant Super Alloy: SUPERNI - 718A" Cold Rolled Sheets, developed and manufactured by M/s. Mishra Dhatu Nigam Limited, Kanchanbagh P.O, Hyderabad - 500 058, was issued with Type Approval No. 1291 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1291, Dated: 14<sup>th</sup> November 2007 and was valid upto 31<sup>st</sup> December 2012.*

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (मेटिरियल्स), हैदराबाद - 500 058, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01<sup>st</sup> May 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), Hyderabad - 500 058, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.*

सं./No. : सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1291/1R

दिनांक/Date : 18<sup>th</sup> May 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

18/5/16  
12

(गंतायत गौड़ वै. जी /G. Gouda, Sc. 'G')

स्थानामन्न् मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Offg.Chief Executive (Airworthiness)